NCRPS No. 5488/2019

संः 797-ई / पालिसी / 2018 / Quarter

दिनांक: 1 2.0 32019

अपर महाप्रबंधक / उ.म.रे. / इलाहाबाद । समस्त प्रधान विभागाध्यक्ष / उमरे / इलाहाबाद । वि. उप महाप्रबन्धक / उ.म.रे. / इलाहाबाद । मु.प्रशा.अधि / निर्माण / उ.म.रे. / इलाहाबाद । चेयर मैन / आर. आर.सी. / उ.म.रे. / इलाहाबाद । उप मु.का.अधि. / राज / आई.टी. / मुख्या / उ.म.रे. / इलाहाबाद । विर.का.अधि. / राज / आई.आर. / मुख्या. / उ.म.रे. / इलाहाबाद । मंडल रेल प्रबन्धक / कार्मिक / उ.म.रे. / इलाहाबाद । अगरा एवं झाँसी । मुख्य कारखाना प्रबन्धक / उ.म.रे. / वैगन रिपेयर शाप, झाँसी । मुख्य कारखाना प्रबन्धक / उ.म.रे. / रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर) । उप मुख्य सामाग्री प्रबन्धक / उ.म.रे. / झाँसी । उप मु.अभि / सीपीओएच / उ.म.रे. / इलाहाबाद । उप मु.अभि / सीपीओएच / उ.म.रे. / इलाहाबाद । उप मु.अभि / सीपसपी / उ.म.रे. / इलाहाबाद । प्रधानाचार्य — सु. सिवल ट्रेनिंग सेन्टर / उ.म.रे / इलाहाबाद । प्रधानाचार्य — सिवल ट्रेनिंग सेन्टर / उ.म.रे / इलाहाबाद । प्रधानाचार्य — बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर / उ.म.रे / झाँसी । प्रधानाचार्य — बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर , लोके / उमरे / झाँसी । प्रधानाचार्य — बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर , ती एण्ड डब्लू / उमरे / झाँसी । प्रधानाचार्य — बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर , ती एण्ड डब्लू / उमरे / कानपुर । प्रधानाचार्य — परमानेन्ट वे ट्रेनिंग सेन्टर / उमरे / झाँसी । प्रधानाचार्य — परमानेन्ट वे ट्रेनिंग सेन्टर / उमरे / झाँसी । प्रधानाचार्य — इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर / ठीआरडी / झाँसी । प्रधानाचार्य = इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर , कानपुर । मु. प्र. अधि. / आईआरपीएमयू / नई दिल्ली । उप मुख्य इंजी / ब्रिज / लाईन / इलाहाबाद ।

Sub: Retention of Railway quarters at the previous place of posting by Railway employees posted to Northeast Frontier Railway.

Ref: Railway Board letter no. E (G)2005 QR1-3 dated 12.09.2005,E(G) 2008 QR1-9 dated 01.10.2008,11.082009,20.09.2011,30.12.2014 and 18.11.2015.

उपरोक्त संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E (G)2009 QR-1-3 दिनांक 12.09.2009 की प्रतिलिपि संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- यथोक्त।

(V.P.Singh) SPO/HQ

For General Manager/P

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- 1. मुख्य कार्यालय अधीक्षक / कैंडर / अराज एवं राज / उमरे / इलाहाबाद।
- 2. कार्यालय अधीक्षक / यूनियन सेल / उमरे / इलाहाबाद।
- 3. कार्यालय अधीक्षक / गोपनीय अनुभाग / उमरे / इलाहाबाद।
- 4. महामंत्री, एन सी आर ई एस / उमरे / इलाहाबाद।
- महामंत्री, एन सी आर एम यू/उमरे/इलाहाबाद।
- महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए/उमरे/इलाहाबाद।
  महामंत्री एस सी/एस टी एशोसियेशन/उमरे/इलाहाबाद।
- महामंत्री ओबीसी एशोसियेशन / उमरे / इलाहाबाद।

01/4/19

RBE No. 04/2019

## GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR) MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA) (RAILWAY BOARD)

No. E(G) 2008 QR - 1 - 9

wrote achetor to sicho

New Delhi, dated 09. 01. 2019

The General Manager/Director General II Indian Railways/Production Units/RDSO-Lucknow (As per Standard mailing list)

Sub: Retention of Railway quarters at the previous place of posting by Railway employees posted to Northeast Frontier Railway.

Ref: Board's letter No. E(G) 2005 QR 1-3 dated 12.09.05, E(G) 2008 QR-1-9 dated 01.10.08, 11.08.09, 20.09.11, 30.12.14 and 18.11.15

Instructions governing retention of Railway accommodation in favour of Railway employees transferred and posted to Northeast Frontier Railway have been issued from time to time. The existing orders on the subject were valid up to 30.06.2018. The question of further extension of these orders beyond 30.06.2018 has been considered and it has now been decided with the approval of Competent Authority to extend these orders for a further period of three years i.e. up to 30.06.2021 or till revised orders on the subject are issued, whichever is earlier.

- Since the retention of quarter at the previous place of posting in favour of officers/staff who have been transferred and posted to Northeast Frontier Railway is allowed for bona fide use of the dependent family of transferred Railway servant, he/she will furnish certificate on 1st July and 1st January of every year, stating that his/her dependent family members are actually residing in the Railway quarter at the last station of his/her posting. Such a certificate will also have to be furnished at the time of seeking retention.
- In case no such certificate is received by 31st January and 31st July every year, the quarter controlling authority will be constrained to cancel the allotment of the quarter in question.

The request for retention of entitled type of accommodation should be received period of one nonth from the date of relinquishing the charge at the last station of within a so that further necessary action will be initiated by the quarter controlling authority पुकाधि0 posting (ASILO मुकाधिक (आईo आर्त) time his issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways. सः पुकर्मध्यः (राजः) चप मुकाधित (मुख्यार्ज) सप मुकाधित (आई०: ease acknowledge receipt. अध्यक्ष/रे०म०प्र० वत का० अधिए (राज) महाप्रबन्धक कार्यालय Director Establishment (Genl.) **माठ अधि**० (औ०सं०) उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद प्रतकात स्रोधेत (मुख्यात) Railway Board सकाचिर (आई०आर०) सकाधित (मनीत)